Raj.Samwad/C/22/10496

D. Bhaskar 18 NOV. 2022

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

पंत कृषि भवन, जयपुर।

क्रमांक :–एफ21(14)रा.रा.कृ.वि.बोर्ड/मसाला प्र./प्रसं.ई./2022–23/13728 दिनांक :– 16.11.2022

रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का आमंत्रण

राज्य में उत्पादित प्रमुख फसलें जीरा एवं ईसबगोल का मूल्य संवर्द्धन, प्रसंस्करण, निर्यात प्रोत्साहन एवं कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं राज्य के उत्पादों को विदेशी व्यापार में पहचान दिलवाने के लिये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा बजट वर्ष 2022–23 की घोषणा के क्रम में जोधपुर संभाग में जीरा एवं ईसबगोल निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाईयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रूपये की सहायता/अनुदान दिया जाना है। इसके लिये पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से जो जोधपुर संभाग के जिलों में मसाला फसल जीरा एवं ईसबगोल की निर्यात आधारित नवीन प्रसंस्करण इकाई स्थापना के इच्छुक तथा जिसकी स्वयं की उपयुक्त प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित भूमि/कृषि भमि या दीर्घ अवधि (न्यूनतम 10 वर्ष) पर भूमि लीज पर धारण करने वाले पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से रूचि अभिव्यक्ति जारी होने की दिनांक से 45 दिवस की अवधि में राज किसान पोर्टल – https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों एवं दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र की मूल हस्ताक्षर प्रति (निर्धारित दस्तावेजों सहित) प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को ऑनलाईन आवेदन के 15 दिवस में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

योजना के दिशानिर्देश, आवेदन पत्र तथा अन्य शर्ते **राज किसान पोर्टल** – https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ **एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,** जयपुर की वेबसाईट – https://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/22/10506

अतिरिक्त निदेशक, मसाला प्रकोष्ठ

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.4(44)कृषि/ग्रुप–2/2019पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27 OCT 2022

बजट वर्ष 2022–23 की घोषणा के क्रम में जोधपुर संभाग में जीरा व ईसबगोल निर्यात आधारित प्रसंस्करण ईकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.00 करोड़ रूपये की सहायता/अनुदान दिये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. **उद्देश्य :** राज्य में उत्पादित प्रमुख फसलों– जीरा एवं ईसबगोल का मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण व निर्यात प्रोत्साहन एवं कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना तथा राज्य के उत्पादों को विदेशी बाजार में पहचान दिलाना।
2. **पात्र व्यक्ति/संस्थाए :** कोई भी व्यक्ति/फर्म/कंपनी/ कृषक/कृषक समूह/कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक सहकारी समिति/कृषक स्वयं सहायता समूह एवं खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत सहकारी विपणन संघ आदि जो जीरा एवं इसबगोल निर्यात आधारित प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक है, सहायता/अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगें।
3. **पात्र क्षेत्र :** जीरा व ईसबगोल प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात हेतु जोधपुर संभाग में स्थापित की जाने वाली नवीन ईकाइयॉ।
4. **पात्रता (Eligibility) :**
   - 4.1 जोधपुर संभाग के जिलों में मसाला फसल जीरा एवं ईसबगोल की निर्यात आधारित नवीन प्रसंस्करण इकाई स्थापना के इच्छुक **"पात्र व्यक्ति/संस्थाए"** (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/ कृषक/कृषक समूह/कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक सहकारी समिति/कृषक स्वयं सहायता समूह एवं खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत सहकारी विपणन संघ आदि) जिसकी स्वयं की उपयुक्त प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित भूमि/कृषि भूमि या दीर्घ अवधि (न्यूनतम 10 वर्ष) पर भूमि लीज पर धारण करने वाले आवेदक ।
   - 4.2 जीरा एवं ईसबगोल निर्यात आधारित प्रसंस्करण इकाई जिसकी परियोजना की पूंजीगत लागत (तकनीकी निर्माण कार्य एवं प्लांट व मशीनरी की लागत) राशि कम से कम 4.00 करोड रूपये हो, को अनुदान देय होगा। कुल पूंजीगत लागत में प्लांट एवं मशीनरी का न्यूनतम हिस्सा 70 % होना आश्यक होगा।
   - 4.3 परियोजना नाबार्ड की प्राथमिक प्रसंस्करण योजना के तहत प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक को नाबार्ड में ही आवेदन करना होगा। ऐसी स्थिति में 10% top-up अनुदान योजना से स्वीकृति योग्य होगा।
5. **आवेदन पत्रों का निस्तारण :**
   - 5.1 योजना अर्न्तगत निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा आवेदन पत्रों के चयन की वरीयता का निर्धारण लाटरी द्वारा किया जावेगा। प्रथम 10 परियोजनाओं के अलावा अनुदान की स्वीकृति वर्तमान प्रचलित प्रावधानानुसार किया जायेगा। लाटरी हेतु परियोजनाओं का चयन प्रस्तावित पूंजी निवेश राशि, निर्यात अनुभव, Turn over, जीरा/इसबगोल जिन्सों के व्यापार अनुभव एवं कृषि उत्पाद प्रसंस्करण का अनुभव तथा आमंत्रण अवधि में प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया जायेगा।
   - 5.2 राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019' की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समीक्षा समिति (SLSC) प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करेगी।
6. **अनुदान हेतु आवेदन :**

प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु आवेदन प्रमुख समाचार पत्रों में रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी करके 45 दिवस की अवधि में प्राप्त किये जायेंगे। कोई भी पात्र आवेदक, जो जोधपुर सम्भाग में जीरा एवं ईसबगोल फसलों के उत्पाद का प्रसंस्करण कर निर्यात करने हेतु प्रसंस्करण ईकाई

Scanned with CamScanner

स्थापित करने के इच्छुक है, वे राज किसान पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों/दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करेगें । आवेदन पत्र की मूल हस्ताक्षरित प्रति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर में 15 दिवस में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन हेतु प्रमुख रूप से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें:–

6.1 निर्यात आधारित प्रसंकरण इकाई स्थापना की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें अन्य सुसंगत तथ्यों के अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाई स्थापना की समयावधि, उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावित तिथि एवं निर्यात की वार्षिक कार्य योजना आदि का अंकन करना आवश्यक होगा।

6.2 भू–स्वामित्व के सम्बन्धित विधिक संस्था/विभाग द्वारा जारी वैध पत्र/दस्तावेज।

6.3 रूपये 100/– के नॉन ज्यूडीसीयल स्टाम्प पर शर्तों की पालना हेतु निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा:–

a) यह है कि मैं/हम संबंधित प्राधिकारी से समक्ष अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करके ही प्रोजेक्ट का निर्माण तथा संचालन प्रभावी नियमों/विधि अनुसार ही करेंगे।

b) यह है कि मैं/हम 5 वर्ष की अवधि तक प्रोजेक्ट को अन्य किसी प्रयोजन हेतु इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है, उसके प्रयोजनार्थ ही काम में लिया जावेगा।

c) यह है कि मैं/हम योजनांतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट में हमारे द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा इसे निरस्त किया जाता है तो स्वीकृत अनुदान मय ब्याज के वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।

d) यह है कि मैं/हम योजनांतर्गत प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात् सभी दस्तावेज निर्धारित समयावधि तथा दिशा निर्देशानुसार प्रस्तुत कर देंगे।

e) यह है कि मैं/हम अपना ऋण खाता ऋण वितरण की प्रथम किस्त जारी करने की तिथि से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि से पूर्व बंद नहीं करेंगे।

f) यह है कि मैं/हम राज्य में उत्पादित कच्चे माल का क्रय करने व उसके प्रसंस्करण तथा निर्यात के दस्तावेज संधारित करेगे व विपणन बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी को रिकॉर्ड निरीक्षण हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जाने हेतु पाबन्द रहूंगा/रहेगें। मैं/हम प्रसंस्करण इकाई का किसी भी कार्य दिवस को उचित समय पर निरीक्षण कराये जाने को पाबन्द रहूंगा/रहेगें।

g) यह है कि मैं/हम इस बाबत् सहमति देते हैं कि योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की कोई गारंटी नहीं है, न ही मेरा/हमारा इस पर कोई अधिकार है। मैं/हम इस बाबत् सहमति देते हैं कि यह अनुदान हेतु निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा तथा मैं/हम राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की स्वीकृति के आधार पर तथा योजना के दिशा निर्देशों की पालना पर जैसा कि राज्य सरकार/राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व सूचना या बिना सूचना के अभिप्रेरित और संशोधित किया जायेगा, की पालना हेतु बाध्य रहेगें।

6.4 राष्ट्रीयकृत बैंक/राजस्थान वित्त निगम/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/अन्य अनुसूचित बैंको द्वारा 01 अप्रैल 2022 से वित्तीय वर्ष 2022–23 ऋण स्वीकृति पत्र/सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र (Inpriciple Sanction Letter) (01 अप्रैल 2022 के बाद जारी)

6.5 परियोजना का आय–व्यय विवरण मय कैश फ्लो चार्ट।

6.6 प्लांट एवं मशीनरी के कोटेशन/बिल्स एवं आवश्यक सिविल कार्य का सिविल इंजीनियर/आर्कीटेक्ट द्वारा तैयार तकमीना मय नक्शा।

7. अनुदान स्वीकृति एवं वितरण की प्रकिया :

7.1 जोधपुर संभाग में जीरा व ईसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम पात्र 10 प्रसंस्करण इकाईयों को पूंजीगत अनुदान के रूप में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.00 करोड रूपये की सीमा तक अनुदान/सहायता राशि निम्नानुसार देय होगी:–

Scanned with CamScanner

a) निर्यात आधारित अनुदानित प्रसंस्करण इकाई को पात्र अनुदान राशि का 60 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये राशि तकनीकी निर्माण कार्य एवं प्लांट व मशीनरी की लागत पर देय होगी तथा ***40 प्रतिशत*** अधिकतम 100 लाख रूपये का भुगतान प्रसंस्कृत किये गये उत्पाद के निर्यात इनवाईस (एफओबी मूल्य) के मूल्यांकन का 20 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख रूपये प्रति वर्ष की दर से इकाई स्थापना हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति से अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि में देय होगी।

b) तकनीकी निर्माण कार्य एवं प्लांट व मशीनरी की लागत पर देय पात्र पूंजीगत अनुदान राशि का वितरण 40:60 की दो किश्तों में credit linked back ended subsidy के रूप में किया जावेगा

c) परियोजना की पात्र लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 40.00 लाख रूपये परियोजना पर स्वीकृत बैंक ऋण 40 प्रतिशत Disbursement होने पर तथा शेष 60 प्रतिशत अधिकतम 60 लाख रूपये का भुगतान इकाई का कार्य पूर्ण होकर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर देय होगी ।

d) अनुदान राशि सीधे परियोजना से संबद्ध ऋण खाते में सब्सिडी रिजर्व फण्ड अकाउन्ट में जमा करने हेतु ऋण दाता बैंक को प्रेषित की जावेगी।

e) अनुदान राशि 5 वर्ष के लॉक–इन–पीरियड में रहेगी।

7.2 संयुक्त निरीक्षण समिति के निरीक्षण के दौरान SLSC की स्वीकृति के 90 दिवस के अन्दर उक्तानुसार इकाई स्थापना का कार्य आरम्भ नहीं होने की स्थिति में इकाई को जारी अनुदान स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं वरीयता क्रम की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के क्रम के आगामी प्रार्थियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा।

7.3 इकाई को देय 60 प्रतिशत अनुदान राशि वित्तीय संस्था/बैंक मे इकाई के 'Subsidy Reserve Fund Account' में 5 वर्ष के लिए Lock-in-Period में रहेगी, जो 5 साल बाद इकाई के नियमित निर्यात चालू रहने पर ऋण के विरूद्व समायोजित की जा सकेगी। शेष 40 प्रतिशत अनुदान राशि ***Capital Subsidy Linked to Export*** के रूप में होगी एवं निर्यात के साथ ही ऋण से संबद्ध बैंक खाते में देय होगी।

7.4 परीक्षण समितिः परियोजना प्रस्तावों का सर्वप्रथम राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर गठित Pre-SLSC द्वारा परीक्षण किया जाएगा। उक्त परीक्षण समिति प्राप्त प्रस्तावों का योजना के दिशा निर्देशो के अनुसार परीक्षण कर निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार सही पाई गई परियोजना पत्रावलियों को SLSC के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

7.5 राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समीक्षा समिति (SLSC):– परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त योजना के प्रावधानों के अुनरूप सही पाये गये प्रस्तावों की वरीयता अनुसार पात्र प्रथम 15 (डेढ गुना तक) प्रस्ताव प्राथमिक निरीक्षण के पश्चात राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के समक्ष अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाएगे। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा परियोजना प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप पाये गये परियोजना प्रस्तावों को Lottery के आधार पर वरीयता क्रम में प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाईयों के लिए अनुदान स्वीकृति की जायेगी।

7.6 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर (अनुदान स्वीकृति समिति को प्रस्तुत करने से पूर्व) एवं परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त निम्नानुसार गठित अधिकारियों की निरीक्षण समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

1. प्रतिनिधि प्रशासक रा.रा.कृ.वि. बोर्ड –अध्यक्ष
2. उपशासन सचिव कृषि ग्रुप–2 विभाग –सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार, रा.रा.कृ.वि. बोर्ड –सदस्य
4. संबंधित क्षेत्र का अधीक्षण अभियंता, रा.रा.कृ.वि. बोर्ड –सदस्य
5. सचिव, संबंधित कृषि उपज मंडी समिति –सदस्य
6. अतिरिक्त निदेशक, मसाला प्रकोष्ठ,रा.रा.कृ.वि. बोर्ड –सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner

7.7 अनुदान का वितरणः– राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समीक्षा समिति (SLSC) द्वारा अनुदान स्वीकृति प्रकिया का निर्धारण किया जावेगा।

7.8 अनुदान प्राप्त इकाई द्वारा इकाई स्थापना के दूसरे वर्ष से प्रति वर्ष आगामी 5 वर्षो तक 31 मार्च को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिसमें इकाई द्वारा प्रसंस्कृत निर्यात किये गये उत्पाद की प्रगति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को भिजवाया जाना आवश्यक होगा तथा प्राप्त वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का संबंधित इकाई की पत्रावली में संधारण किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अंकेक्षित व्यापार खाते के अनुसार प्रसंस्करण उपरान्त निर्यात नहीं करने पर योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि की वापस वसूली करने व Lock-In-Period की 5 वर्ष अवधि उपरान्त समायोजन नही किये जाने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जायेगी।

7.9 आवेदक के टर्नओवर में पति, पत्नि, एकल स्वामित्व, साझेदारी या कम्पनी या संस्था डायरेक्टर की टर्नओवर को सम्मिलित माना जाएगा किन्तु इस प्रकार की साझेदारी/कम्पनी में आवेदक की अशंधारिता कम से कम 50 प्रतिशत व 2 वर्ष से अधिक पुरानी होनी आवश्यक होगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

27/10

(नसीम खान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner